

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण

किस्म मुकदमा :- राजस्व प्रार्थना पत्र

संख्या :- 48/2020

अनवान तहसीलदार

बनाम

धाराराम वगैराह।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए
28.02.2020	<p>तहसीलदार उपस्थित।</p> <p>प्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 LR Act, 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा-फालका, पटवार हल्का फालका, तहसील-जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 139, 139/1, 139/2, 141 व 141/1 कुल रकबा 38-11 बीघा जमाबन्दी सेग्रीगेशन कार्य को पूर्ण करने एवं नक्शे में दर्ज खसरा नम्बरों का वन दू वन मिलान के मध्य जिन खसरों में रिकार्ड मौका तथा नक्शे में भिन्नता आ रही हैं यथा खातेदारों के अलग अलग खसरों नम्बरों की सीमाओं में अन्तर हैं तथा नक्शा अनुरूप खसरों का रकबा मिलान नहीं होता है। ऐसे खसरा नम्बरों के नक्शे की सीमाओं में दुरुस्ती प्रस्ताव निम्नानुसार सेवा में पेश हैं। ग्राम फालका पटवार हल्का फालका तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) के खसरा नम्बर 139, 139/1, 139/2, 141 व 141/1 कुल रकबा 38-11 बीघा खातेदारान् का आवेदन मय रिकार्ड की सत्यप्रतिलिपि पेश कर निवेदन है कि प्रस्तावित प्रस्ताव अनुसार रिकार्ड दुरुस्ती का आदेश प्रदान करने की कृपा करावे। प्रस्तुत प्रा. पत्र एवं मय रिकार्ड की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>पटवारी हल्का फालका ने अपनी जांच रिपोर्ट में निवेदन किया कि मौजा-फालका में स्थित भूमि खसरा नम्बर 139, 139/1, 139/2, 141 व 141/1 कुल रकबा 38-11 बीघा भूमि के रूप में खातेदारान् के नाम वर्तमान जमाबन्दी में इन्द्राज हैं। राजस्व रेकर्ड अनुसार मौका स्थिति में भिन्नता हैं। उक्त भिन्नता को दूर करने के लिए इन सभी खसरों का मूल खसरा नम्बर 139 रकबा 23-05 बीघा व खसरा नम्बर 141 रकबा 15-06 बीघा में विलय करना उचित बताया, उक्त विलय के लिए सभी खसरों के खातेदारों ने अपनी सहमति दी हैं। तदनुसार पटवारी हल्का फालका भू.अ.निरीक्षक आ. ने कालू एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्ताव तैयार कर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 एवं 131 के तहत दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया। तथा यह भी आग्रह किया गया कि उक्तानुसार दुरुस्ती से DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के कार्य निष्पादन में भी सुविधा होगी।</p> <p>प्रार्थी तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न दस्तावेज तथा पटवारी रिपोर्ट व भू.अ.निरीक्षक की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तथा संबंधित खसरों के खातेदारों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/सहमति पत्र पर भी गौर किया गया तो पाया कि तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव अनुसार खसरा विलयकरण की शुद्धि करना उचित समझते हैं।</p> <p>अतः प्रार्थी तहसीलदार का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है।</p> <p>मौजा-फालका पटवार हल्का फालका तहसील जैतारण में स्थित भूमि खसरा नम्बर 139, 139/1, 139/2, 141 व 141/1 कुल रकबा 38-11 बीघा जमाबन्दी में खातेदारान् के नाम दर्ज हैं। पटवारी हल्का-फालका, भू.अ.निरीक्षक आ.कालू एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं रिकार्ड की सत्यप्रतिलिपि अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं, जिसे प्रस्तावित प्रस्ताव अनुसार विलय कर मूल खसरा नम्बर 139 रकबा 23-05 बीघा व खसरा नम्बर 141 रकबा 15-06 बीघा कुल रकबा 38-11 बीघा का इन्द्राज दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं। खातेदारों के नाम, हक हिस्सा एवं रहन की प्रविष्टियां बदरतूर जारी रहेगी, तथा कोई भी खातेदार इस बाबत किसी भी समय संबंधित सक्षम न्यायालय से अगर उचित समझे तो अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगा, तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रार्थी तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रेषित प्रस्ताव जो इस निर्णय का भाग होगा, आदेश एवं तहसीलदार तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्दा पत्रावली दाखिल दफतर/लेख्य भण्डार जमा हो।</p>	<p>293 28/2/20</p>

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण

(अंतर्गत धारा 136, 131 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956)

प्रार्थी तहसीलदार जैतारण के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार मण्डल-फालका व भू.अ. निरीक्षक-आ.कालू की रिपोर्ट तथा तहसीलदार जैतारण की अनुशंसा, खातेदारान् की प्रार्थना के आधार पर तहसील क्षेत्र जैतारण में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर एवं राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार भू-अभिलेखों की डिजिटलइजेशन हेतु संचालित DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के अंतर्गत जमाबंदी, नक्शा एवं मौका स्थिति की अनुरूपता के लिए मौका एवं नक्शा की स्थिति में भिन्नता के फलस्वरूप तस्मीम कार्य में उत्पन्न अवरोध के निराकरण हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं 131 के अनुसरण में ग्राम-फालका, तहसील-जैतारण, जिला-पाली को निम्नलिखित खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खातेदारान् के नाम, हक हिस्सा एवं रहन की प्रविष्टियां, कुल रकबा एवं भूमि की किरम अप्रभावित रहते हुए बदस्तूर जारी रहेगी। कोई भी खातेदार किसी भी समय अगर आवश्यक समझे तो संबंधित सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के तहत सूक्ष्म खासों / इन्द्राज का समांमेलन करना

नाम ग्राम-फालका पटवार मण्डल - फालका, भू.अ.वि. - आ.कालू तहसील-जैतारण, जिला-पाली

वर्तमान खाते का विवरण

शुद्धि की प्रविष्टि

खातेदार का विवरण

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किरम	खातेदार का विवरण	खातेदार का विवरण
195	139	12-10	बा.दो.	धाराराम पुत्र शिवराम कौम जाट सा.देह खातेदार। रहन एस.बी.बी.जे. आ.कालू।	धाराराम पुत्र शिवराम 250/771, नारायणराम पुत्र शिवराम 260/771, बालुराम पुत्र शिवराम 261/771 कौम जाट सा.देह खातेदार। रहन एस.बी.बी.जे. आ.कालू।
योग	1	12-10	बा.दो.		
233	139/1 141	2-00 11-00	बा.दो. बा.दो.	नारायणराम पुत्र शिवराम कौम जाट सा.देह खातेदार। रहन 243/1 के अलावा एस.बी.बी.जे. आ.कालू।	
योग	2	13-00	बा.दो.		
343	139/2 141/1	8-15 4-06	बा.दो. बा.दो.	बालुराम पुत्र शिवराम कौम जाट सा.देह खातेदार। रहन एस.बी.बी.जे. आ.कालू।	
योग	2	13-01	बा.दो.		
योग	5	38-11	बा.दो.		
योग	2	38-11	बा.दो.		

उपर्युक्त अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण

